135

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्षः– श्री एस0 एस0 अली
सदस्य

प्रकरण क्रमांक तीन/निगरानी/भिण्ड/भू.रा./2017/2118 के विरूद्ध पारित आदेश दिनांक 4–07–2017 के द्वारा न्यायालय अपर आयुक्त चंबल संभाग मुरैना के प्रकरण कमांक 250/अपील/2015–16.

....

1–रामजीलाल तनय श्री हाकिम सिंह
2–कोमल सिंह तनय श्री हाकिम सिंह
निवासी कस्वा मौ तहसील गोहद
जिला भिण्ड म0प्र0

––– आवेदकगण

विरूद्ध

1– पुत्तू सिंह
2–कल्याण सिंह पुत्रगण श्री मोहरसिंह
3–मुलायम सिंह पुत्र अतर सिंह यादव
निवासी वार्ड न0 7 कस्वा मौ
तहसील गोहद जिला भिण्ड म0प्र0

–––अनावेदकगण

4–श्रीमती गोमाबाई पत्नी स्वरूप सिंह
5–श्रीमती कन्ठोबाई पुत्री स्वरूप सिंह
6–श्रीमती कोसा बाई पुत्री स्वरूप सिंह
7–श्रीमती विमलाबाइ पुत्री स्वरूप सिंह
जाति यादव निवासी कस्बा मौ
तहसील गोहद जिला भिण्ड म0प्र0

–––तरतीबी पक्षकार

....

श्रीमती रजनी वशिष्ठ शर्मा अभिभाषक, आवेदकगण
श्री दिवाकर दीक्षित, अभिभाषक, अनावेदकगण

....

आदेश
(आज दिनांक 16/11/17 को पारित)

आवेदकगण द्वारा यह निगरानी न्यायालय अपर आयुक्त चंबल संभाग मुरैना द्वारा पारित आदेश दिनांक 04–07–2017 के विरूद्ध मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता 1959 (संक्षेप में आगे जिसे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण विवरण संक्षेप में इस प्रकार है कि ग्राम मौ तहसील गोहद जिला भिण्ड में स्थित कृषि भूमि सर्वे कमांक 900 मि0 रकवा 0.563 के आवेदक रामजीलाल, कोमल सिंह पुत्रगण हाकिम सिंह एवं अनावेदकगण पुत्तू सिंह, कलियान सिंह पुत्रगण मोहर सिंह समस्त जाति यादव निवासीगण कस्वा मौ उक्त विवादित भूमि के सहस्वामी होकर अपने अपने हिस्से पर आपसी बटवारा अनुसार काबिज होकर खेती कर रहे है। विवादित भूमि के बंटाकन हेतु एक आवेदन पत्र तहसीलदार गोहद वृत्त मौ जिला भिण्ड के न्यायालय में प्रस्तुत किया गया जो प्रकरण कमांक 07/2011–2012/अ–3 पर दर्ज किया जाकर उसमें पारित आदेश दिनांक 21.01.2013 से बंटाकन आवेदक के पक्ष में स्वीकार किया गया। उक्त आदेश के विरूद्व धीरज पुत्र रामजीलाल निवासी ग्राम मौ तहसील गोहद ने कलेक्टर भिण्ड के न्यायालय में निगरानी प्रस्तुत की जो प्रकरण कमांक 11/2013–14 निगरानी पर दर्ज करते हुये पारित आदेश दिनांक 4.4.15 से निरस्त की जिससे परिवेदति होकर अनावेदकगण द्वारा अधीनस्थ न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी गोहद जिला भिण्ड के न्यायालय में अपील प्रस्तुत की जो प्रकरण कमांक 7/अपील/2014–15 पर दर्ज होकर उसमें पारित आदेश दिनांक 19.11.15 से अनावेदकगण की अपील स्वीकार की जाकर तहसीलदार गोहद का आदेश निरस्त किया गया जिससे दुखित होकर अपर आयुक्त चंबल संभाग मुरैना के न्यायालय में द्वितीय अर्पील प्रस्तुत की गई जो उनके द्वारा आदेश दिनांक 4.7.17 द्वारा निरस्त की गई, इसी से दुखित होकर यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3–आवेदक के अधिवक्ता का तर्क है कि अनुविभागीय अधिकारी गोहद जिला भिण्ड द्वारा आवेदक को बिना सूचना दिये आदेश पारित किया गया है। आवेदक को अनुविभागीय अधिकारी द्वारा एक पक्षीय कार्यवाही कर आदेश पारित किया गया है जो निरस्त किये जाने योग्य है। आवेदक अधिवक्ता का तर्क है कि अनुविभागीय अधिकारी गोहद के न्यायालय में

अपील अवधि वाह्य की गई थी जिसका निराकरण नहीं किया जो आवश्यक था । अधिनस्थ न्यायालय अवधि के बिन्दु पर सर्व प्रथम निराक़रण करना चाहिये था, जो न करने में अवैधानिकता की है जिससे अधीनस्थ न्यायालय का आदेश अवैध होकर निरस्त किये जाने योग्य है। आवेदक अधिवक्ता द्वारा यह भी तर्क दिया गया है कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा तहसीलदार के आदेश का अवलोकन नहीं किया गया है जिसमें राजस्व निरीक्षक के बटांकन प्रतिवेदन पर अनावेदकगण के सहमति के हस्ताक्षर हैं। सहमति के आधार पर पारित आदेश के विरूद्व अपील प्रचलन योग्य ही नहीं थी। इस कानूनी बिन्दु पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा न्यायिक दृष्टि से विचार नहीं किया, जिससे अधीनस्थ न्यायालय का आदेश निरस्त करने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस बिन्दु पर भी विचार नहीं किया गया है कि आवेदक के पुत्र द्वारा कलेक्टर जिला भिण्ड के न्यायालय में अपील प्रस्तुत की गई थी जो निरस्त हुई थी उसके विरूद्व किसी भी न्यायालय में अनावेदकगण द्वारा अपील/निगरानी प्रस्तुत नहीं की थी जो अंतिम आदेश हो चुका था। आवेदक अधिवक्ता द्वारा यह भी तर्क दिया गया है कि अनुविभागीय अधिकारी को उसी आदेश की अपील सुनवाई करने का क्षेत्राधिकार नहीं रहता है। अंत में निवेदन किया गया है कि आवेदकगण की निगरानी स्वीकार की जाकर अपर आयुक्त का आदेश दिनांक 4.7.17 निरस्त किंये जाने का अनुरोध किया गया है।

4– अनावेदक अधिवक्ता का तर्क है कि भूमि खसरा क्रमांक 900, 902 मौजा मौ तहसील गोहद स्थित उपरोक्त भूमि अनावेदकगण एवं आवेदकगण भूमिस्वामी होकर आधिपत्यधारी है और अपने अपने हिस्सा के अनुसार मौके पर काबिज होकर के खेती करते आ रहे हैं, किन्तु आवेदकगण द्वारा गलत रूप से पटवारी मौजा व राजस्व निरीक्षक तथा विचारण न्यायालय से साजिस करके आवेदक को बिना सूचना दिये जबकि अनावेदकगण प्रकरण में पक्षकार थे, उसके बाद भी सुनवाई का अवसर दिये बगैर गलत रूप से बटवारा व बटांकन करा लिया है। अंत में उनके द्वारा कहा गया है कि अधीनस्थ न्यायालय का आदेश उचित एवं सही है। उसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। आवेदकगण द्वारा प्रस्तुत निगरानी निरस्त की जावे।

5– उभयपक्ष कें अधिवक्तागण के तर्क सुने। प्रकरण में सलग्न अभिलेखों का अध्ययन किया गया। अध्ययन से स्पष्ट है कि आवेदकगण द्वारा तहसीलदार टप्पा मौ तहसील गोहद के समक्ष आवेदन प्रस्तुत कर बटांकन करने का निवेदन किया गया। नायव तहसीलदार मौ द्वारा राजस्व निरीक्षक से प्रतिवेदन की मांग की गई । राजस्व निरीक्षक द्वारा दिनांक 30.5.12 को अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया। प्रकरण इश्तहार दिनांक 10.5.12 को जारी किया गया है जो प्रकरण के पृष्ठ कमांक 9 पर संलग्न है। राजस्व निरीक्षक द्वारा मौका मुताविक फर्द बटांकन प्रस्तुत किया गया है जिसमें रामजी लाल, मुलायम सिंह, पुत्तू सिंह, नि0 अंगुष्ठ कल्यान सिंह, गोमा बाई, कन्छो बाई, विमला बाई, एवं बतासो बाई के अंगुष्ठ निशान लगे हुये है। इससे स्पष्ट होता है सहमति के आधार पर बंटाकन हुआ है। इसी प्रकार विचारण न्यायालय के प्रकरण में पंचनामा संलग्न है जिस पर रामजीलाल, करन सिंह, पुत्तू सिंह जनक सिंह, मुलायम सिंह, एवं काशीराम के हस्ताक्षर बने हुये है तथा प्रकरण के पृष्ठ कमांक 25 पर संलग्न है। अनावेदकगण को दिनांक 27.10.2012 को विचारण न्यायालय में उपस्थित होने हेतु सूचना पत्र जारी किया गया उसके पश्चात उपस्थित नहीं हुये है। अनावेदकगण को पुनः चस्पा से सूचना जारी की गई है जो प्रकरण के पृष्ठ कमांक 32 से 39 तक संलग्न है। इस ओर अनुविभागीय अधिकारी द्वारा ध्यान नहीं दिया गया है और अपने आदेश में मात्र यह कहते हुये कि विचारण न्यायालय का आदेश निरस्त किया गया है कि 10.1.13 तिथि नियत एवं 17.1.13 को अनावेदकगण को एक पक्षीय किया गया है, जबकि विचारण न्यायालय द्वारा अनावेदकगण को उपस्थित होने का अवसर प्रदान किया गया लेकिन वह जानबूझकर उपस्थित नहीं हुये थे, उसके बाद एक पक्षीय कार्यवाही की गई है तथा प्रकरण के अवलोकन से स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय द्वारा बटवारा सहमति से किया गया है। फर्द बटवारा पर सहमति दी गई है उसके आधार पर भी अनुविभागीय अधिकारी गोहद द्वारा अपने आदेश दिनांक 19.11.15 द्वारा विचारण न्यायालय का आदेश निरस्त करने में त्रुटि की गई है। अपर आयुक्त चंबल संभाग मुरैना द्वारा अपने आदेश दिनांक 4.7.17 द्वारा अनुविभागीय अधिकारी का

आदेश स्थिर रखने में त्रुटि की गई है। अतः अनुविभागीय अधिकारी गोहद एवं चंबल संभाग मुरैना का आदेश स्थिर रखने योग्य नहीं है।

6– उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त चंबल संभाग मुरैना का प्रकरण कमांक 250/अपील/2015–16 में पारित आदेश दिनांक 4.7.2017 एवं अनुविभागीय अधिकारी गोहद जिला भिण्ड का प्रकरण कमांक 07/अपील/2014–15 में पारित आदेश दिनांक 19.11.15 त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त किये जाते है । परिणामस्वरूप नायव तहसीलदार वृत्त मौ तहसील गोहद जिला भिण्ड का प्रकरण कमांक 7/अ–3/2011–12 में पारित आदेश दिनांक 21.1.13 विधि प्रावधानों से उचित होने से स्थिर रखा जाता है। आवेदकगण द्वारा प्रस्तुत निगरानी स्वीकार की जाती है।

(एस0 एस0 अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश
ग्वालियर